

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प गिरधारी लालपुरा

आदेश

172/2021
प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का हिंगोनिदा
व भू.अ.नि. वृत्त तामड़िया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चाकसू /नायब
तहसीलदार चाकसू की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खानन्दरामपुरा तहसील चाकसू व जिला
जयपुर की जमाबंदी सम्बन्धित 2875-79 में खाता संख्या 39
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व
रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	खानन्दरामपुरा	39	बृजमोहन पुत्र गोपाल	बृजमोहन पुत्र गोपाल उर्फ - राममोपाल

शिवाजी लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू जयपुर।

दिनांक 17.12.2021

क्रमांक:- राजस्व/अ.नि/3820

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, तहसील चाकसू को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री बृजमोहन पुत्र गोपाल उर्फ - (को सूचनार्थ)।
3. रक्षित पत्रावली।

शिवाजी लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
चाकसू जयपुर।